भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

रक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2278

29 जुलाई, 2022 को उत्तर के लिए

सैन्य खर्च

2278. श्रीमती नुसरत जहां:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का सैन्य खर्च विश्व में तीसरे स्थान पर है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 2017 से 2021 के दौरान, 50 प्रतिशत से अधिक रक्षा उपकरणों का आयात किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रक्षा क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही 'मेक इन इंडिया' योजना में कितना विकास हुआ है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क): यह मंत्रालय अन्य देशों के खर्च संबंधी आंकड़े नहीं रखता है । तथापि , स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान (सीआईपीआरआई) की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 के लिए भारत का सैन्य खर्च विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(मौजूदा अमरीकी मिलियन डालर में)

क्र.सं.	देश	वर्ष 2021 के लिए खर्च
1	संयुक्त राज्य अमेरिका	800,672.20
2	चीन	293,351.90
3	भारत	76,598.00

(ख): जी, नहीं । वर्ष 2017-21 के दौरान, स्टोर्स/रक्षा उपस्करों की खरीद के लिए की गई विदेशी अधिप्राप्ति (राजस्व एवं पूंजी दोनों) के प्रतिशत की रेंज 33.97 प्रतिशत से 41.60 प्रतिशत रही है ।

(ग): रक्षा विनिर्माण में 'मेक इन इंडिया' की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :-

i. मेक I, मेक II, एसपीवी मॉडल और आईडेक्स मार्ग के तहत उद्योग द्वारा संचालित डिजाइन एवं विकास के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा 18 प्रमुख प्लेटफार्मों को अनुमोदन प्रदान किया गया है ।

ii. कुल अधिप्राप्ति में घरेलू अधिप्राप्ति के अंश में वृद्धि हुई है । वर्ष 2018-19 में, घरेलू अधिप्राप्ति कुल अधिप्राप्ति की 54 प्रतिशत थी, यह आंकड़ा वर्ष 2019-20 में बढ़कर 59 प्रतिशत और वर्ष 2020-21 में 64 प्रतिशत हो गया । इस वर्ष घरेलू अधिप्राप्ति के अंश में और वृद्धि करके इसे 68 प्रतिशत करने का लक्ष्य है ।

iii. एमएसएमई, स्टार्ट अप्स, वैयक्तिक नवाचारकों, अनुसंधान और विकास संस्थानों और शैक्षिक संस्थानों सहित उद्योगों को शामिल कर के रक्षा और एयरोस्पेस में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने और उन्हें ऐसे अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए अनुदान/वित्त पोषण व अन्य सहायता उपलब्ध करा ने के लिए, जिसकी भारतीय रक्षा और एयरोस्पेस आवश्यकताओं के लिए भविष्य में अपनाने की संभावना हो , अप्रैल, 2018 में रक्षा उत्कृष्टता हेतु नवाचार (आईडीईएक्स) शीर्षक से रक्षा के लिए एक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की शुरूआत की गई है । अब तक, 125 समस्याएं प्रस्तुत की गई हैं, 136 स्टार्ट-अप्स लगाए गए हैं, 95 संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।

iv. उच्च कोटि के समाधानों के विकास को समर्थ बनाने के लिए 10 करोड़ रु. तक के सहायता अनुदान के साथ स्टार्ट-अप्स की सहायता करने हेतु आईडेक्स के अंतर्गत 'आईडेक्स प्राइम' फ्रेमवर्क की शुरूआत वर्ष 2022 में की गई है ।

v. सरकार ने रक्षा एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने और स्टार्ट-अप्स की सहायता करने के लिए 498.78 करोड़ रु. (वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक) के परिव्यय के साथ एक योजना भी अनुमोदित की है । इससे 300 से अधिक स्टार्ट अप नई डिजाइन और विकास परियोजनाओं में भाग लेने में सक्षम होंगे तथा 20 साझेदार इनक्यूबेटरों को भी मदद मिलेगी ।

vi. डीपीएसयू द्वारा रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और किए जाने वाले आयात को कम करने के प्रयास के भाग के रूप में विभाग द्वारा एक सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची अधिसूचित की गई है । इस सूची में 2500 आयातित मदें जिनका स्वदेशीकरण किया जा चुका है और उच्च मूल्य की 351 आयातित मदें हैं जिनका स्वदेशीकरण आगामी 3 वर्षों में किया जाएगा, शामिल हैं । 351 मदों में से 147 मदों का स्वदेशीकरण किया जा चुका है ।

vii. उच्च मूल्य प्लेटफार्म की 107 लाइन रिप्लेसेबल इकाइयों (एलआरयू)/उप-प्रणालियों के स्वदेशीकरण के लिए डीपीएसयू की एक अन्य सूची 28.03.2022 को अधिसूचित की गई थी । आज की तारीख तक 4 एलआरयू का स्वदेशीकरण किया जा चुका है; 5 एलआरयू परीक्षण चरण में हैं और 31 एलआरयू डिजाइन एवं विकास चरण में हैं ।

viii. आयात प्रतिस्थापन के लिए एमएसएमई/स्टार्ट अप्स/ उद्योग को विकास संबंधी सहयोग उपलब्ध कराने हेतु उद्योग इंटरफेस के साथ डीपीएसयू/ ओएफबी/सेनाओं के लिए अगस्त, 2020 में सृजन नामक एक स्वदेशीकरण पोर्टल शुरू किया गया है । अब तक, 21000 से अधिक रक्षा मदें जिनका पहले आयात किया जाता था, इस पोर्टल पर प्रदर्शित की जा चुकी हैं । 388 निजी विक्रेताओं ने 4700 से अधिक मदों के स्वदेशीकरण लिए रूचि दिखाई है और अब तक 410 मदों का स्वदेशीकरण किया जा चुका है ।

ix. रक्षा उपस्करों के स्वदेशी विकास एवं विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए 'मेक-II' श्रेणी (उद्योग द्वारा वित्त-पोषित) हेतु पृथक प्रक्रिया अधिसूचित की गई है । इस प्रक्रिया में अनेक उद्योग हितैषी प्रावधान जैसे पात्रता मानदंड में छूट, न्यूनतम दस्तावेजीकरण, उद्योग/व्यक्ति द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों पर विचार करने हेतु प्रावधान इत्यादि लागू किए गए हैं । अब तक, सेना, नौसेना एवं वायुसेना से संबंधित 72 परियोजनाओं को 'सैद्धांतिक अनुमोदन' प्रदान किया गया है । 38 आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन), 05 प्रोटोटाइप का विकास किया गया है और सेनाओं द्वारा 02 अधिप्राप्ति संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।

x. औद्योगिक लाइसेंसों की आवश्यकता वाली रक्षा उत्पाद सूची को तर्कसंगत बनाया गया है और अधिकांश कलपुर्जों अथवा संघटकों के विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है । आईडीआर अधिनियम के तहत मंजूर किए गए औद्योगिक लाइसेंस की

प्रारंभिक वैधता को 3 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया है और यह भी प्रावधान किया गया है कि उसे मामला-दर-मामला आधार पर आगे 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।

xi. देश में 6 से 8 ग्रीन फील्ड रक्षा परीक्षण अवसंरचनाएं स्थापित करने के लिए रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना (डीटीआईएस) बनायी गई है । यह योजना घरेलू उद्योग के लिए रक्षा परीक्षण अवसंरचना में 'आत्मनिर्भरता' प्राप्त करने में सहायता करेगी ।

xii. आयुध निर्माणियों को स्वायतत्ता प्रदान करने एवं कार्यक्षमता बढ़ाने और विकास की नई संभावना में वृद्धि करने के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण किया गया है और सभी पणधारियों के हितों की रक्षा करते हुए इसे 7 नए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में परिवर्तित किया गया है । सार्वजनिक क्षेत्र के नए रक्षा उपक्रम 1 अक्तूबर, 2021 से प्रचालित हैं ।

xiii. नए रक्षा औद्योगिक लाइसेंस मांगने वाली कंपनियों के लिए एफडीआई नीति को रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के जरिए 74 प्रतिशत तक एफडीआई और जहां कहीं आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच बनने की संभावना हो अथवा रिकार्ड किए जाने वाले अन्य कारणों के लिए सरकारी मार्ग के जरिए शत-प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने की अनुमति दी है । गत 7 वर्षों में रक्षा एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है । वर्ष 2001 से 2014 तक के 14 वर्षों में एफडीआई प्रवाह 1382 करोड़ रु. होने की सूचना है । गत 7 वर्षों में (वर्ष 2014-15 से आज की तारीख तक) एफडीआई प्राप्ति में लगभग 2..5 गुना वृद्धि हुई है जो कुल 3378 करोड़ रु. है ।

xiv. सरकार ने देश में रक्षा एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और एक व्यापक रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए दो रक्षा औद्योगिक गलियारे, एक उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में स्थापित किए हैं । इसके अलावा, संबंधित राज्य सरकारों ने इन दोनों गलियारों में मूल उपस्कर निर्माताओं (ओईएम) सहित निजी भागीदारों के साथ-साथ विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए अपनी एयरोस्पेस और रक्षा नीतियां भी प्रकाशित की है ।

पैरामीटर	**टीएनडीआईसी**	**यूपीडीआईसी**
निवेश (मूल्य करोड़ रु. में)	3176	1767
भूमि अधिग्रहण (हेक्टेयर में)	910	1598
हस्ताक्षरित एमओयू (मूल्य करोड़ रु. में)	41 (11108)	84 (9756)

****